

FROM No.III

फर्क अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO)..... मुकाम.....
बायतु

..... बनाम
डि रोश्टि वावू राय वंगी


किस्म मुकदमा..... 128 प्रजापति नं..... 293..... सन्..... 17.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री 72 फर 205.....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 128 P.L.R. Act.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23.1.18 को पेश हो।</p>	
23/01/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये, जिनकी एडी बुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार दोउर पत्रावली दिनांक 12.2.18 को पेश है।</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>
12.2.18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 30 दिन के अघिउ डा सम्पन करवावतल हो चुका है। जिनकी कोर्ट के डेरि उपस्थित नहीं हुआ जिनके पियलाफ एड-वतका डाहवाही समल के लारि जाली है। प्रार्थी के अघिवन्ता श्री एडवकीम बरत मुनी</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

गई, प्राची के अधिकांश ने बलाया भी प्राची के अपने ब्यालेटारी घेतो के चाले करे परने नेयम स्थापित करवाने काकेशउ ई इसलिये प्राची का नेयम-वनी काकेन स्वीडार दिया जाउर नेयमवनी कोरा दिया जावे।

फल: प्राची का नेयमवनी काकेन स्वीडार दिया जाउर लहरीलार दिउर को उमिमान् मिथुनर दिया जाला ई व कोरा दिया जाला ई कि काय स्वयं का अपने अधिकांश दिमी भी उ-मिलेय निरिस्तु ई प्राची के ब्यालेटारी घेतो भी परने नेयमवनी कोरे पर खुल्लु जमा 8/18 ई, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर वामिल पत्रावली हो, पत्रावली केमल खुमार हो, दर्ज नम्बर ई 84 हो, दायित्व इफल हो।


निहायक (SDO)
बायल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

2018/43

प्रार्थना

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक:- 12/2/2018

1. किशोरसिंह पुत्र जवारसिंह
जाति राजपूत निवासी
झालामलिया, खारापार तह.
गिड़ा जिला बाड़मेर

1. बाबुराम पुत्र दुर्गराम वगैरा 14 निवासी
झालामलिया, खारापार तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 293/17

आदेश

मौजा झालामलिया पटवार हल्का खारापार के खेत खसरा नम्बर 107, 108, 134, 209/109, 211/109 रकबा क्रमशः 00.16, 00.09, 22.14, 92.00, 40.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू-अनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-

क्रमांक/वाद/2018/ 44-48

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री किशोरसिंह पुत्र जवारसिंह।
4. विप्रार्थीगण श्री बाबुराम पुत्र दुर्गराम वगैरा 14।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।



उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु